



2026:AHC:24335-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 1195 वर्ष 2025

दिनांक 06.01.2026 को सुरक्षित

दिनांक 04.02.2026 को पारित

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

डॉ. सुशील कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, कायस्थ पाठशाला, प्रयागराज ...अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य ...प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : अनिल तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता; उदय प्रताप सिंह, अनमोल बर्तारिया, और अदीबा खातून।

प्रत्यर्थी(गण) के लिए अधिवक्ता : आर. के. ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता; प्रभाकर अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता; राम एम. कौशिक, अनुज श्रीवास्तव, वरद नाथ; ए.के. गोयल, अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता; जगदीश पाठक, स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र)

1. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री अनमोल बरतारिया और सुश्री अदीबा खातून, अधिवक्ताओं द्वारा सहायता प्राप्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी; प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित, श्री जगदीश पाठक, विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री ए.के. गोयल; तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से



उपस्थित, श्री अनुज श्रीवास्तव और श्री वरद नाथ, अधिवक्ताओं द्वारा सहायता प्राप्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधा कांत ओझा, साथ ही श्री प्रभाकर अवस्थी को सुना गया।

चुनौती

2. वर्तमान अंतः-न्यायालय अपील, 15.11.2025 के अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट-सी संख्या 9752 वर्ष 2025 को खारिज कर दिया है, जो अपीलकर्ता द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, फर्म, सोसाइटीज एंड चिट्स, प्रयागराज द्वारा 28.03.2025 को जारी किए गए आदेश (चुनाव प्रमाण पत्र) पर प्रश्न उठाते हुए दायर की गई थी, जो कि विहित प्राधिकारी/उप-जिलाधिकारी, सदर, प्रयागराज द्वारा उन्हें पहले किए गए एक संदर्भ पर 22.03.2025 को पारित आदेश के अनुसरण में जारी किया गया था।

3. विवाद कायस्थ पाठशाला, प्रयागराज से संबंधित है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 ('अधिनियम') के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 (संक्षेप में 'प्रतिवादी') ने सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। चुनाव 25.12.2023 को आयोजित किए गए थे, मतों की गणना 26.12.2023 को की गई थी और अपीलकर्ता, जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे, को 26.12.2023 को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसे उसके निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

विहित प्राधिकारी के समक्ष संदर्भ

4. प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के निर्वाचन पर प्रश्न उठाते हुए सहायक रजिस्ट्रार से संपर्क किया। सहायक रजिस्ट्रार ने, 06.04.2024 के आदेश द्वारा, मामले को विहित प्राधिकारी को संदर्भित कर दिया, जिन्होंने अपने 22.03.2025 के आदेश द्वारा, सहायक रजिस्ट्रार को मतों की पुनर्गणना करने और परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के अनुसरण में, सहायक रजिस्ट्रार ने मतों की पुनर्गणना कराने के बाद, 28.03.2025 को एक निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें प्रतिवादी को सोसाइटी का अध्यक्ष घोषित किया गया और साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्व में अपीलकर्ता के पक्ष में जारी किए गए 25.12.2023 के निर्वाचन प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया।

आयुक्त के समक्ष वैधानिक अपील



5. विहित प्राधिकारी द्वारा 22.03.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 25(1) के परंतुक (घ) के तहत आयुक्त, प्रयागराज के समक्ष एक अपील दायर की है, जो अभी भी लंबित है।

इस न्यायालय के समक्ष अंतरिम चरण में कार्यवाही

6. सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 28.03.2025 को जारी प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती देते हुए, वह रिट याचिका दायर की गई जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है। इसमें अंतरिम राहत का दावा करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया गया कि 28.03.2025 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाई जाए और प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् निर्वाचित अध्यक्ष, को रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपीलकर्ता के कामकाज में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए।

7. रिट न्यायालय ने 25.04.2025 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने विशेष अपील संख्या 388 वर्ष 2025 दायर की, जिसे 21.05.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को एस.एल.पी. संख्या 16985 वर्ष 2025 के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, हालाँकि, उसे भी 04.07.2025 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात्, रिट याचिका पर माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा अंतिम सुनवाई की गई और 15.11.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा, इसे खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से दलीलें

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

(i) विद्वान एकल न्यायाधीश अधिनियम की धारा 25(2) के अधिदेश पर विचार करने में विफल रहे हैं और उन्होंने इस त्रुटिपूर्ण आधार पर कार्यवाही की है कि धारा 25 के तहत पुनर्गणना के बाद, एक उम्मीदवार को उसके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार और नए सिरे से चुनाव कराए बिना, केवल दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(ii) विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे हैं कि रिट याचिका में चुनौती अन्य बातों के अलावा, सहायक रजिस्ट्रार के उस क्षेत्राधिकार को भी दी गई थी, जिसे चुनाव को रद्द करने या निरस्त करने या प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित करने की कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसलिए, उनके द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा



25(2) के अधिदेश के विपरीत है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहाँ धारा 25(1) के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से चुनाव रद्द कर दिया जाता है और पदाधिकारी पद पर बने रहने का हकदार नहीं रहता है, वहाँ रजिस्ट्रार सोसाइटी की आम सभा की बैठक बुला सकता है, जिसमें पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी करेगा।

(iii) यद्यपि विहित प्राधिकारी के आदेश में ऐसा कोई संकेत या उल्लेख नहीं है कि अपीलकर्ता का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है, वैकल्पिक रूप से, यदि यह मान भी लिया जाए कि विहित प्राधिकारी ने अपीलकर्ता का निर्वाचन रद्द कर दिया है, तो इसका एकमात्र परिणाम यह हो सकता है कि सहायक रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 25(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए एक नई बैठक बुलाने की प्रक्रिया अपनाएं। हालाँकि, ऐसा न किए जाने के कारण, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश/प्रमाण पत्र स्वयं वैधानिक योजना के अनुसार अमान्य हो जाता है।

(iv) केवल विहित प्राधिकारी ही सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपीलकर्ता के निर्वाचन और पद पर बने रहने या हटाए जाने के संबंध में विवाद का निर्णय ले सकते थे और सहायक रजिस्ट्रार अपीलकर्ता के निर्वाचन या उनके पक्ष में पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को रद्द नहीं कर सकते थे और साथ ही साथ, प्रतिवादी को अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकते थे।

(v) विहित प्राधिकारी ने 22.03.2025 का आदेश पारित करने के बाद, अपने समक्ष चल रही कार्यवाही को बंद कर दिया, जबकि, यदि उनका यह विचार भी था कि पुनर्गणना होनी चाहिए, तो उन्हें सहायक रजिस्ट्रार को पुनर्गणना कराने के लिए कहना चाहिए था और उसके बाद रिकॉर्ड को अपने (विहित प्राधिकारी के) समक्ष भेजने का निर्देश देना चाहिए था। ऐसा न किए जाने के कारण, विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को बंद करना और सब कुछ सहायक रजिस्ट्रार पर छोड़ देना, विहित प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के अवैध प्रयोग के समान है।

(vi) विहित प्राधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार ने, पुनर्गणना के बाद हारने वाले उम्मीदवार को विजेता उम्मीदवार घोषित करके, स्वयं में ऐसी शक्ति निहित कर ली है, जो अन्यथा केवल उच्च न्यायालय को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'आर.पी. एक्ट')



के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका पर विचार करते समय उपलब्ध होती है। इस सादृश्य को सोसाइटी के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता, जो 1860 के अधिनियम के तहत परिकल्पित वैधानिक योजना द्वारा शासित होते हैं। इस संबंध में आर.पी. एक्ट की धारा 84, 98, 100 और 101 का उल्लेख किया गया।

(vii) रिट याचिका के पैराग्राफ 24 में निहित दलीलें कि, 1860 के अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से केवल विहित प्राधिकारी ही सोसाइटी के पदाधिकारियों के निर्वाचन को रद्द करने के लिए अधिकृत है, जिसे राज्य-प्रतिवादियों की ओर से दायर प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ 15 में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया है, ऐसा स्वीकारोक्ति अपने आप में 28.03.2025 के आदेश/निर्वाचन प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

9. ऑल इंडिया काउंसिल एवं अन्य बनाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, वाराणसी रीजन, वाराणसी एवं अन्य, 1988 (2) एडब्ल्यूसी 1154 के मामले में इस न्यायालय की एक समवर्ती पीठ के निर्णय पर भरोसा जताते हुए, यह दलील दी गई है कि धारा 4(1) का दायरा अधिनियम की धारा 25 के तहत आने वाले दायरे से भिन्न है, इसलिए यदि धारा 4(1) के तहत वार्षिक सूची जमा करने के संबंध में रजिस्ट्रार के समक्ष धारा 25 द्वारा कवर की गई प्रकृति का कोई विवाद उठाया जाता है, तो उसे रजिस्ट्रार द्वारा अनिवार्य रूप से विहित प्राधिकारी को संदर्भित किया जाना चाहिए।

10. तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने और रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उसमें दावा की गई राहतें प्रदान करने का अनुरोध किया गया है; वैकल्पिक रूप से, सहायक रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए एक नई बैठक बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

राज्य प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से दलीलें

11. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता ने एक ओर, विहित प्राधिकारी द्वारा पारित 22.03.2025 के मूल आदेश को वैधानिक अपील के माध्यम से चुनौती दी है, जो आयुक्त के समक्ष लंबित है; वहीं दूसरी ओर, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी परिणामी आदेश/प्रमाण पत्र को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है, जो कि विचारणीय नहीं थी। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय ने विशेष अपील संख्या 388 वर्ष 2025 को खारिज करते



समय, पहले ही 28.03.2025 के निर्वाचन प्रमाण पत्र को किसी भी कानूनी स्थिति से रहित पाया है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज किए जाने में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती है।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दलीलें

12. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

(i) 25.12.2023 को हुए चुनावों में, 148 वैध मतों की गणना नहीं की गई थी और इसलिए, विहित प्राधिकारी ने सही ढंग से मतों की पुनर्गणना का निर्देश दिया और, पुनर्गणना के कानूनी और निष्पक्ष रूप से संपन्न होने पर, अपीलकर्ता 77 मतों से हार गया।

(ii) मतों की पुनर्गणना के परिणाम को अपीलकर्ता द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई, इसलिए केवल 28.03.2025 के निर्वाचन प्रमाण पत्र के विरुद्ध रिट याचिका कानूनी रूप से विचारणीय नहीं थी और इसलिए, इसे सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

(iii) चूंकि विहित प्राधिकारी द्वारा 22.03.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील अभी भी आयुक्त के समक्ष लंबित है, इसलिए रिट याचिका के माध्यम से सहायक रजिस्ट्रार द्वारा किए गए परिणामी कार्य को चुनौती देकर उक्त आदेश को किसी भी प्रकार से परोक्ष रूप से चुनौती देना अस्थिर है।

(iv) सहायक रजिस्ट्रार ने अपने 02.04.2025 के आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पदाधिकारियों की सूची पहले ही पंजीकृत कर ली है और प्रतिवादी के हस्ताक्षरों को भी सत्यापित कर दिया है। चूंकि सूची के पंजीकरण या हस्ताक्षरों के सत्यापन को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इन कार्यवाहियों में अपीलकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

चर्चा एवं विश्लेषण

13. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

रिट याचिका में प्रार्थनाएँ



14. रिट याचिका का अवलोकन करने से संकेत मिलता है कि उसमें पहली प्रार्थना सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 28.03.2025 को पारित आदेश को रद्द करने की थी, जो एक प्रमाण पत्र के रूप में है। दूसरी प्रार्थना प्रतिवादियों को कायस्थ पाठशाला, प्रयागराज के अध्यक्ष के रूप में अपीलकर्ता के कामकाज में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की थी।

आक्षेपित आदेश/निर्वाचन प्रमाण पत्र

15. रिट याचिका में आक्षेपित आदेश/प्रमाण पत्र को पुनरुत्पादित करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

"निर्वाचन प्रमाण पत्र

सन्दर्भ वाद संख्या: 6998/2024, चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह बनाम आर ओ कायस्थ पाठशाला अंतर्गत धारा 25(1) उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 में नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2025 के अनुपालन में व माननीय जिला अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 3033 दिनांक 26.03.2025 के क्रम में समस्त मत पत्रों की पुनर्मतगणना के पश्चात चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाता है।

दिनांक 25.12.2023 को निर्वाचन अधिकारी कायस्थ पाठशाला श्री प्रमोद कुमार के हस्ताक्षर से जारी निर्वाचन प्रमाण पत्र जो डॉ सुशील कुमार सिन्हा के पक्ष में जारी किया गया था एतद्वारा निरस्त किया जाता है।"

16. जब 28.03.2025 के आदेश/प्रमाण पत्र के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपीलकर्ता के कामकाज में प्रतिवादियों को हस्तक्षेप करने से रोकने की प्रार्थना को रिट न्यायालय द्वारा 25.04.2025 के आदेश से अस्वीकार कर दिया गया, तब अपीलकर्ता ने विशेष अपील संख्या 388 वर्ष 2025 दायर करके उसे चुनौती दी। उस स्तर पर, निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रकृति और महत्व पर मामले की विस्तार से सुनवाई की गई और निम्नलिखित टिप्पणियां दर्ज करते हुए अपील को खारिज कर दिया गया:-

"25. उपरोक्त का अवलोकन यह प्रकट करेगा कि प्रमाण पत्र यह संकेत देता है कि पुनर्गणना के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 4 को सोसाइटी का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया जाता है, और इसने 25.12.2023 के चुनाव के अनुसरण में अपीलकर्ता के पक्ष में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जारी निर्वाचन प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि जहाँ तक सहायक रजिस्ट्रार द्वारा घोषित मतगणना के परिणाम का संबंध है, अपीलकर्ता को रिट याचिका में कोई शिकायत नहीं है क्योंकि 22.03.2025 के आदेश के विरुद्ध उनकी अपील लंबित है। शिकायत उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के संबंध में है।"

26. ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि अधिनियम/नियमों के तहत ऐसे किसी निर्वाचन प्रमाण पत्र को जारी करना आवश्यक है और इसलिए, हमारी राय में, इसका अपने आप में कोई कानूनी दर्जा नहीं है। यह विवादित नहीं है कि आयोजित पुनर्गणना और 28.03.2025 को परिणाम की घोषणा के अनुसरण में, सहायक रजिस्ट्रार ने अपने 02.04.2025 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पदाधिकारियों की सूची को पंजीकृत कर लिया है और यह दावा किया गया है कि हस्ताक्षरों को भी सत्यापित कर दिया गया है। प्रमाण पत्र जारी करना, चाहे उस प्रमाण पत्र का कितना भी मूल्य क्यों न हो, निर्वाचित अध्यक्ष को किसी भी तरह से सशक्त नहीं करता है, शक्ति अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पदाधिकारियों के पंजीकरण के आधार पर प्राप्त होती है और यहाँ तक कि उक्त आदेश भी अधिनियम की धारा 4(1क) के तहत अपील योग्य है।

27. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र के संबंध में दी गई चुनौती की प्रकृति के बारे में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलें, जिसका अपने आप में कोई कानूनी औचित्य नहीं है, न्यायसंगत प्रतीत होती हैं और परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 02.04.2025 का आदेश पारित होने के बावजूद सोसाइटी के कामकाज के संबंध में अंतरिम राहत की मांग करना पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होता है।

28. जहाँ तक दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों का संबंध है, जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन्हें देखते हुए वे वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होंगे।

29. उपरोक्त को देखते हुए, की गई दलीलों के संदर्भ में, एक याचिका में, जो निर्वाचन प्रमाण पत्र के एक हिस्से को, यानी केवल अपीलकर्ता के प्रमाण पत्र को रद्द करने के संबंध में चुनौती देती है और जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में



काम करने से रोकने के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है, ऐसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

30. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि भिन्न कारणों से।

31. परिणामस्वरूप, अपील में कोई सार नहीं है, और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।"

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई एक और चुनौती पर, 04.07.2025 के आदेश द्वारा एस.एल.पी. को खारिज कर दिया, जो इस प्रकार है:-

"1. हमें सूचित किया गया है कि मुख्य रिट याचिका अब अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस दृष्टिकोण से, हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, जो कि अंतरिम प्रकृति का है।

2. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

3. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।"

18. उपरोक्त के आलोक में, यदि हम पक्षों के विरोधाभासी तर्कों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ें, तो हम सबसे पहले पाते हैं कि विहित प्राधिकारी ने 22.03.2025 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:-

"उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सभी 9543 मतपत्रों की पुनर् मतगणना का आदेश जारी किया जाता है। सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स प्रयागराज को यह निर्देशित किया जाता है कि 7 दिवस के अन्दर पुनर् मतगणना कराना तथा उसका परिणाम घोषित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नायब तहसीलदार उत्तरी सदर प्रयागराज को यह निर्देशित किया जाता है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतगणना स्थल पर उपस्थित रहकर सतत पर्यवेक्षण करेंगे। आदेश की दूसरी प्रति co कर्नलगंज को इस निर्देश के साथ भेजी जाय कि नियत स्थान एवं समय पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें। यह भी आदेशित किया जाता है कि पुनर् मतगणना की सम्पूर्ण प्रक्रिया विडियोग्राफी में कराया जाय।"



19. तदनुसार, सहायक रजिस्ट्रार ने राज्य तंत्र के माध्यम से पुनर्गणना करवाई और फिर 28.03.2025 का प्रमाण पत्र जारी किया। उक्त आदेश/प्रमाण पत्र को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि सहायक रजिस्ट्रार के पास न तो प्रतिवादी को अध्यक्ष घोषित करने की और न ही अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र था, जिसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 25.12.2023 को जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से मान्यता दी गई थी।

20. यद्यपि अपीलकर्ता की ओर से दी गई यह दलील कि अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसार, किसी पदाधिकारी के निर्वाचन को केवल विहित प्राधिकारी द्वारा ही रद्द किया जा सकता है, यदि खंड (क), (ख) और/या (ग) में वर्णित कोई भी आकस्मिकता घटित होती है, निश्चित रूप से अधिनियम की योजना के अनुरूप है, फिर भी केवल यह तथ्य कि सहायक रजिस्ट्रार ने प्रमाण पत्र जारी किया था और विहित प्राधिकारी ने अपने 22.03.2025 के आदेश में विशेष रूप से अपीलकर्ता के निर्वाचन को रद्द करने का संकेत नहीं दिया था, अपने आप में वह राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई है। इसका कारण यह है कि सहायक रजिस्ट्रार विहित प्राधिकारी द्वारा उनके 22.03.2025 के आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों 'पुनर्गणना कराने और उसका परिणाम घोषित करने' का पालन करने के लिए बाध्य थे और इसलिए, उक्त निर्देश की प्रकृति या उसके परिणाम पर सवाल उठाना केवल उस कार्यवाही में ही संभवतः विचारणीय हो सकता है जहाँ स्वयं 22.03.2025 के आदेश को चुनौती दी गई हो, न कि उस रिट याचिका में जहाँ उक्त आदेश आक्षेपित नहीं है।

21. यह निर्विवाद है कि विहित प्राधिकारी द्वारा 22.03.2025 को पारित आदेश रिट याचिका का विषय नहीं है और उक्त आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (घ) के तहत एक वैधानिक अपील संबंधित आयुक्त के समक्ष अभी भी लंबित है। इसलिए, न तो रिट न्यायालय और न ही यह अपील न्यायालय कोई ऐसा निष्कर्ष दर्ज कर सकता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या जारी किए गए निर्देशों को या तो रद्द करने या बरकरार रखने का परिणाम हो। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह रिट याचिका और अपील के दायरे से बाहर जाने के समान होगा।

22. हम यहाँ 22.03.2025 के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष लंबित अपील से संबंधित कुछ पहलुओं को जोड़ना चाहेंगे। उसमें भी, अपीलकर्ता ने अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था। आयुक्त, प्रयागराज ने 11.09.2025 के आदेश द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, यह देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि उक्त आदेश लंबित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट-सी संख्या 9752 वर्ष 2025 में पारित होने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहेगा, यानी वह रिट याचिका जिससे यह वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है। इसलिए, विहित प्राधिकारी द्वारा पारित मुख्य आदेश के विरुद्ध अपील में भी, अपीलकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली और हमारे समक्ष रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो यह प्रदर्शित करे कि अपील से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता को कोई अंतरिम राहत मिली हो।

23. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा एक अन्य रिट-सी संख्या 38500 वर्ष 2024 में 23.11.2024 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसे अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उसने विहित प्राधिकारी के समक्ष लंबित रहने के दौरान संदर्भ वाद संख्या 6998 वर्ष 2024 के संबंध में कुछ प्रार्थनाएं की थीं। उक्त रिट याचिका का निपटारा आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए किया गया था कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिमानतः एक महीने की अवधि के भीतर लंबित अपील का निर्णय करें। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर लंबित अपील का निपटारा न होने के कारण क्या हैं, यह इन कार्यवाहियों में इस न्यायालय की चिंता का विषय नहीं है; हालाँकि तथ्य यह है कि अपील अभी भी लंबित है और अपीलकर्ता को कोई अंतरिम राहत प्राप्त नहीं है।

24. इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निर्विवाद रूप से, पुनर्गणना के बाद चुनाव परिणाम के अनुसरण में पदाधिकारियों की सूची, अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 02.04.2025 को पहले ही पंजीकृत की जा चुकी है और अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी के हस्ताक्षरों को भी सत्यापित कर दिया गया है। मामले की इस स्थिति को देखते हुए, जब विहित प्राधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश आयुक्त के समक्ष अपील में चुनौती के अधीन है, और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पदाधिकारियों की सूची पंजीकृत करने वाले आदेश को उपयुक्त कार्यवाहियों में चुनौती नहीं दी गई है, तो हमारी राय में 28.03.2025 के प्रमाण पत्र जारी होने जैसी मध्यवर्ती घटना को चुनौती देने का कोई सार नहीं है।

25. हम यह दोहरा सकते हैं कि अधिनियम या नियमों के तहत कोई भी प्रावधान ऐसे किसी निर्वाचन प्रमाण पत्र को जारी करने की परिकल्पना नहीं करता है और इसलिए, इसका अपने आप में कोई कानूनी दर्जा नहीं है। विशेष अपील संख्या 388 वर्ष 2025 को खारिज करते हुए, हम पहले ही यह निर्णय दे चुके हैं कि प्रमाण पत्र जारी करना, चाहे उसका कोई भी मूल्य क्यों न हो, निर्वाचित अध्यक्ष को किसी भी तरह से सशक्त नहीं करता है और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की शक्ति अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पदाधिकारियों की सूची के पंजीकरण के आधार पर प्राप्त होती है, जिस आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4(1-क) के तहत अपील की जा सकती है। यदि अपीलकर्ता ने इसे चुनौती न देने का विकल्प चुना है, तो हम प्रतिवादी को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से नहीं रोक सकते और इसलिए, रिट याचिका में दावा की गई दोनों राहों प्रदान नहीं की जा सकती।

26. जहाँ तक 'ऑल इंडिया काउंसिल' (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर अपीलकर्ता की ओर से भरोसा जताने का प्रश्न है, निर्णय के पैराग्राफ 10 का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिस पर अपीलकर्ता की ओर से बहुत अधिक जोर दिया गया था। वह इस प्रकार है:-

'10. यह तर्क दिया गया था कि रजिस्ट्रार को इस प्रावधान के अंतर्गत विवाद का निर्धारण करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं। पहली बात तो यह है कि विवाद प्रबंध निकाय की वार्षिक सूची प्रस्तुत करने के संदर्भ में उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसे धारा 4(1) के तहत दाखिल किया जाना आवश्यक है। दूसरी बात, धारा 4(1) के परंतुक के तहत दायर आपत्तियों का निर्णय लेने के रजिस्ट्रार की शक्ति को ऐसे क्षेत्र में प्रभावी माना जाना चाहिए जो अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत, रजिस्ट्रार केवल उन्हीं मामलों को देखता है जो प्रबंध निकाय की वार्षिक सूची प्रस्तुत करने के संदर्भ में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, वर्तमान मामले में हम यहाँ प्रबंध निकाय के चुनाव से नहीं, बल्कि सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित हैं। यहाँ प्रबंध निकाय एएच इंडिया काउंसिल है जो 'प्रतिनिधि सभा' से अलग है। किसी भी स्थिति में, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में पंजीकृत सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित विवादों का संबंध है, उन्हें केवल धारा 25(1) के तहत निर्धारित तरीके से ही तय किया जाना चाहिए, इस सिद्धांत पर कि 'विशेष, सामान्य को बाहर करता है'। यही एकमात्र तरीका है जिससे धारा 4 के परंतुक को धारा 25 के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, यदि धारा 25 के अंतर्गत आने वाले स्वरूप का कोई विवाद, धारा 4(1) के तहत वार्षिक सूची प्रस्तुत करने के संबंध में रजिस्ट्रार के समक्ष उठाया जाता है, तो धारा 25(1) में निहित विधायी अधिदेश को देखते हुए, उसे रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्राधिकारी को संदर्भित किया जाना चाहिए। ऊपर उल्लिखित रिट याचिका संख्या 14879 वर्ष 1986 का निर्णय करने वाली पीठ की भी यही राय थी कि धारा 4(1) का परंतुक, धारा 25(1) के दायरे को कम करने का प्रभाव नहीं रखता है।"



27. हम पाते हैं कि 'ऑल इंडिया काउंसिल' (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विवाद उस स्थिति से उत्पन्न हुआ था जहाँ 'भारत धर्म महामंडल' नाम की एक सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत थी, जबकि इसका प्रबंधन और नियंत्रण इसकी आम सभा, यानी 'ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा' के हाथों में था। प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों के चुनाव आयोजित किए गए थे और प्रतिद्वंद्वी समूह द्वारा समानांतर चुनाव भी कराए गए थे और जब ऐसी कार्यवाहियों के लाभार्थियों के बने रहने के संबंध में दो समानांतर कार्यवाहियां और उनके निर्णय सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष आए, तो उन्होंने कार्यवाहियों का निपटारा कर दिया, जिनमें से एक उपनियमों में कुछ संशोधनों से संबंधित थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और दूसरी उसके इस्तीफे सौंपने के बाद मुख्य सचिव के रूप में एक व्यक्ति के बने रहने के प्रश्न से संबंधित थी। उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय सहायक रजिस्ट्रार की उक्त प्रकृति का आदेश पारित करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा था और उसने टिप्पणी की थी कि इस तरह के चुनाव विवाद को केवल उनके द्वारा अधिनियम की धारा 25(1) के तहत विहित प्राधिकारी को संदर्भित किया जा सकता था।

28. वर्तमान मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं जहाँ समानांतर चुनाव कराए जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं है, बल्कि वर्तमान मामला ऐसी स्थिति से उत्पन्न हुआ है जहाँ, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्राधिकारी को संदर्भ भेजे जाने के बाद, बाद वाले ने अधिनियम की धारा 25(1) के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग किया और 22.03.2025 का आदेश पारित किया, जो स्वयं आयुक्त के समक्ष अपील में चुनौती के अधीन है। इसलिए, अपीलकर्ता उद्धृत निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

29. श्री तिवारी द्वारा दी गई दलील कि 22.03.2025 के आदेश को पारित करने के बाद विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को बंद करना, और सहायक रजिस्ट्रार से उनके (विहित प्राधिकारी के) समक्ष की गई पुनर्गणना का रिकॉर्ड भेजने की अपेक्षा न करना, विहित प्राधिकारी द्वारा शक्ति के अवैध प्रयोग के समान है, अनिवार्य रूप से विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता पर एक हमला है, जो आयुक्त के समक्ष अपील में चुनौती के अधीन है और यह हमारे समक्ष या रिट न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का विषय नहीं है।

30. जहाँ तक श्री तिवारी द्वारा दी गई वैकल्पिक दलील का प्रश्न है कि यदि अपीलकर्ता के निर्वाचन को विहित प्राधिकारी के आदेश द्वारा रद्द माना जाता है, तो इसका एकमात्र परिणाम वही होगा जो अधिनियम की धारा 25(2) के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें सहायक रजिस्ट्रार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से एक नई बैठक आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है, हम इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसका कारण यह है कि एक बार जब 28.03.2025 का प्रमाण पत्र किसी स्वतंत्र कानूनी स्थिति या परिणाम का नहीं रह जाता है, तो जो महत्वपूर्ण रह जाता है, वह प्रमाण पत्र जारी होने से पहले विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सहायक रजिस्ट्रार द्वारा धारा 4(1) के तहत सूची का पंजीकरण है। चूंकि अधिनियम, 1860 की योजना के तहत विहित प्राधिकारी के आदेश और सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सूची के पंजीकरण को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, हम इन कार्यवाहियों में यह मानने के इच्छुक नहीं हैं कि सहायक रजिस्ट्रार के लिए अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार बैठक आयोजित करने का अवसर उत्पन्न हो गया है, विशेष रूप से तब जब विहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील, आयुक्त के समक्ष लंबित अपील में चुनौती के अधीन है।

31. आर.पी. अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को समझने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 84, 98, 100 और 101 का संयुक्त अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय, उक्त अधिनियम के तहत दायर चुनाव याचिका में, विभिन्न आधारों पर चुनाव को चुनौती दे सकता है, और वह राहत जिसका दावा चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा किया जा सकता है या जो उसे प्रदान की जा सकती है, उसमें यह घोषणा शामिल है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है। हालाँकि, इस मामले में यह अवलोकन करना कि 28.03.2025 के प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के पक्ष में की गई घोषणा, 1951 के अधिनियम से शक्तियों को उधार लेने/आयात करने के समान होगी, जो अन्यथा 1860 के अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं हैं, न्यायालय को चुनौती की प्रकृति को समग्र रूप से देखना होगा, न कि टुकड़ों में। एक बार जब हम इस ठोस निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं कि चुनौती केवल उस प्रमाण पत्र को दी गई है जिसका अपने आप में कोई स्वतंत्र या अलग कानूनी दर्जा नहीं है, तो हम न तो प्रमाण पत्र या उसके किसी हिस्से को, और न ही रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के इच्छुक हैं।

32. विद्वान एकल न्यायाधीश ने, रिट न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने, विशेष अपील में और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा की गई असफल चुनौती के संदर्भ में मुकदमेबाजी के पिछले दौर की कार्यवाहियों का संज्ञान लेने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका, रिट न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है ताकि विहित प्राधिकारी द्वारा 22.03.2025 को पारित आदेश पर गुण-दोष के



आधार पर टिप्पणियां की जा सकें या निष्कर्ष दिए जा सकें, जबकि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपील के माध्यम से उसे चुनौती दी जा चुकी है।

33. हालाँकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ संख्या 17 में की गई यह टिप्पणी कि प्रतिवादी के निर्वाचित घोषित होने के बाद, एकमात्र कानूनी परिणाम यही होगा कि उसके पक्ष में निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया जाए और अपीलकर्ता के पक्ष में पहले से जारी निर्वाचन प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाए और ऐसा संबंधित प्रतिवादी द्वारा किया गया जो ऐसा करने के लिए सशक्त था, 1860 के अधिनियम की योजना के साथ सख्ती से मेल नहीं खाती प्रतीत होती है, लेकिन यह अपने आप में रिट न्यायालय द्वारा निकाले गए अंतिम निष्कर्ष को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हम संतुष्ट हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष वैधानिक अपील लंबित होने और अधिनियम की धारा 4(1) के तहत सूची के पंजीकरण को किसी भी प्रकार से चुनौती न दिए जाने के आलोक में, रिट याचिका को खारिज करने के लिए ठोस और अनेक कारण दिए हैं।

निष्कर्ष

34. परिणामस्वरूप, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं और विहित प्राधिकारी द्वारा 22.03.2025 को पारित उस आदेश की वैधता पर कोई टिप्पणी किए बिना, जिसके विरुद्ध आयुक्त के समक्ष वैधानिक अपील लंबित है, या अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पदाधिकारियों की सूची के पंजीकरण पर कोई टिप्पणी किए बिना, हम न तो विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटने के इच्छुक हैं और न ही अपीलकर्ता को कोई राहत देने के।

35. अपील में कोई गुणावगुण नहीं है और तदनुसार इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

4 फरवरी, 2026

साज़िया